न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

रैफरेस संख्या 38/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रुपवास जिला भरतपुर

....प्रार्थी

बनाम

1–लखनलाल पुत्र गनेशी कौम वैश्य निवासी रुपवास तहसील रुपवास
2–राधेश्याम पुत्र फतहचन्द कौम कौम वैश्य निवासी रुपवास
3–राजकुमार पुत्र रमेशचन्द कौम ब्राहम्ण निवासी रुपवास
4–प्रेमचन्द पुत्र खिलौना कौम ब्राहम्ण निवासी रुपवास
5–गीतादेवी पत्नी सतीशचन्द कोम ब्राहम्ण निवासी रुपवास
6–रवि } पिसरान लाखनसिंह कौम कुशवाह निवास सिरसौंदा मजरा रुपवास
7–सतीश }

.....अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 1900/1003 रकवा 0.10 वीघा के विरुद्ध बिना आंबटन के दर्ज गैर खातेदारी/ खातेदारी को निरस्त कर सिवाय चक दर्ज करने बाबत।

उपस्थितः–
1–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री प्रमोद कुमार उपमन,अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय

दिनांकः– 28.10.2021

प्रार्थी तहसीलदार रुपवास ने यह रेफरेन्स एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आश्य का पेश किया गया है, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1900/1003 रकवा 0.10 बीघा किस्म सैराबी बाके

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

ग्राम रुपवास, तहसील रुपवास में स्थित है। वर्णित भूमि पर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 में अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा टीप सम्वत् 2005–2008 में आराजी के कुछ भाग में सिंघाड़ा की फसल व कुछ भाग पर आकस्मिक या कभी कभी कृषि हुई तथा शेष भाग चारागाह के रुप में खाली रहा है। जमाबन्दी सं0 2012–2015 के राजकीय खाता सं. 714 खसरा नम्बर 1003/ 36–19 के रुप में इन्द्राज रहा है। जिसकी पुष्टी हेतु खसरा टीप संवत् 2005–2008 से होती है। वर्णित भूमि पर बिना किसी नामान्तरकरण के जोमा पुत्र सोनपाल, लक्ष्मन पुत्र जोमा गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड होकर नामन्तरकरण संख्या 451 से खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ। जिसकी पुष्टि हेतु नामान्तरकरण संख्या 451, 1378, 2480, 2543, 2559 व जमाबन्दी संवत् 2057–2060 से होती है। वर्णित भूमि पर वर्षा ऋतु में कई राजस्व ग्रामों के बंधो का पानी काफी समय तक ठहर कर रुपवास के बंध में इकट्ठा रहता है। उक्त वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित भूमियों में से है जिसका नियमन नहीं किया जा सकता है, और उस पर खातेदारी अधिकार देना विधि विरुद्ध है। उक्त भूमि पर प्रभाव शून्य है। वर्णित भूमि पर दर्ज निजी खातेदारी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्धारा डी.बी. सिविल रिट पिटिसन नं. 1536/2003 अब्दूल रहमान बनाम राज्य सरकार वगैरा के तहत जारी आदेश 02–08–2004 में दिये निर्देशों के अनुसार निरस्त की जाकर राजकीय स्वामित्व के सिवायचक खाते में दर्ज करने योग्य है। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव, जयपुर राजस्थान के लोकायुक्त प्रकरण क्रमांक 11(151)लो,आ.सं./ 2013/15899 दिनांक 20.02.2014 तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश जनहित याचिका डीबी सिविल रिट पिटिसन नं. 14757/2017, पुरुषोत्तम बनाम राज्य सरकार वगैरा के तहत जारी आदेश दिनांक 27.11.2017 में दिये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेस प्रकरण प्रेषित है। प्रार्थी तहसीलदार ने अन्त में प्रार्थना की है कि खसरा संख्या 1900/1003 रकवा 0–10 बीघा किस्म सैराबी (गैरमुमकिन) पर दर्ज खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तरकरण संख्या 451, 1378, 1397, 2480,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

2543, 2559 आदि को निरस्त फरमाये जाकर भूमि को पूर्व की भांति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. की तलवी की गई। तहसीलदार रुपवास से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार रुपवास से प्राप्त मौका रिपोर्ट शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि विववादित आराजी जल भराव क्षेत्र की भूमि है। सवंत् 2005–2008 में उक्त भूमि पर सिघांड़ा की फसल तथा कुछ भूमि पर फसल की हुई दर्ज है। विवादित आराजी बिना किसी आदेश के जोमा पुत्र सोनपाल, लक्षमण पुत्र जोमा गैरखातेदार किये गये हैं। जरिये नामान्तरकरण संख्या 451 से खातेदार दर्ज हुये हैं। विवादित आराजी आर.टी.एक्ट. की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आने से अप्रार्थीगण को दी गई गैर खातेदारी एंव खातेदारी नियमों के विपरीत है तथा इसके बाद खोले गये विरासत नामान्तरकरण एवं विक्रय के आधार पर खोले गये सभी नामान्तरकरण प्रभाव शून्य रहते हैं। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पर हो रहे इन्द्राज एवं नामान्तकरण निरस्त किये जावे पूर्व की भांति आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञा दी जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में की प्रस्तुत रेफरेंन्स अत्यधिक विलम्ब से पेश किया गया है और विलम्ब से रेफरेन्स पेश करने का कोई कारण प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया है, रेफरेन्स खारिज किये जाने योग्य है। आराजी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। आराजी गैर मौरुसी के रुप में सम्वत् 2010–2012 में दर्ज रही है जो सम्वत् 2016 में गैर खातेदार के रुप में दर्ज हुआ और तत्पश्चात खातेदार काश्तकार दर्ज हुआ। आराजी लगातार वयनामाओं के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

आधार पर नामान्तरकरण होने के आधार पर वर्तमान खातेदारी स्वरुप आराजी पर दर्ज है। रेफरेन्स बिना किसी आधार के प्रस्तुत किया गया है गैर मौरुसी के आधार पर खातेदारी अधिकार पूर्णतया वैध होते हैं। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि विवादित आराजी कभी भी गैर मुमकिन व सिवाय चक दर्ज नहीं रही है और न ही कभी चारागाह के रुप दर्ज रही है। आराजी धारा 16 से कतई प्रतिबंधित नहीं है। अब्दूल रहमान बनाम राज्य सरकार वगैरा आदेश इस आराजी पर लागू नहीं है क्यों कि यह भूमि बहाव क्षेत्र (नदी नाले तालाब इत्यादि) में नही आती है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि आबंटन होने के बाद खातेदारी प्राप्त हो जाने के पश्चात आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। योग्य अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक नज़ीर आर.आर.टी.2017(2) पेज 1136, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 73, 577,182 व 310 आर.आर.टी.(2)2018पेज 1007 उद्धरत करते हुये रेफरेन्स को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रस्तुत न्यायिक नज़ीरों का अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध नकुलात का अवलोकन किया गया। प्रथमतः म्याद का बिन्दू पर विचार किया गया। इस सम्बन्ध में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

(A) "_ Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

(B) आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of-Held, now it msut be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)

अतः देरी कन्डोन करते हुये प्रकरण की मैरिट पर विचार किया किया गया। खसरा टीप सम्वत् 2005–2008 के कॉलम नाम मालिक या काश्तकार के कॉलम में मकबूजा मालकान घूरे बल्द खचेरा कौम धीमर फसल के कॉलम सिंघाडा फसल दर्ज है। इसके बाद जोमा धीमर की फसल सिंघाडा दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2012 में खसरा नम्बर 1003 रकवा 10 विस्वा पर जोमा बल्द सोनपाल कौ. धीमर सा. देह गैर मौरुसी साल 6 दर्ज है। भूमि के प्रकार वाले कॉलम में भूमि किस्म सैरावी दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2016 में विवादित आराजी पर जोमा पुत्र सोहनपाल कौम धीमर सा. देह गैर खातेदारी दर्ज है। इससे यह तो स्पष्ट है कि विवादित आराजी भूमि जल भराव क्षेत्र की है, क्यों कि सिघांड़ा की फसल जल भराव क्षेत्र में ही पैदा होती है। ऐसी जल भराव क्षेत्र की भूमियॉ आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है। ऐसी भूमियों पर किसी प्रकार से आंबटन नियमन या खातेदारी नही दी जा सकती है।

नामान्तरकरण संख्या 451 के अवलोकन किया गया । नामान्तरकरण के कॉलम 5 जोमा बल्द सोनपाल व लक्ष्मन बल्द जोमा धीमर सा. देह दर्ज है, तथा कालॅम 11 में जोमा वल्द सोनपाल लक्षमन वल्द जोमा कौम धीमर सा.देह खातेदार बहिस्सा बराबर दर्ज है। उक्त अंकन से यह स्पष्ट है कि यह नामान्तरकरण जोमा बल्द सोनपाल व लक्ष्मन वल्द जोमा को खातेदारी दी गई है। उक्त नामान्तरकरण के

अति. जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

कॉलम संख्या 16 में अंकित नोट में मुताविक हुक्म दफा 19 के तहत नामान्तकरण दर्ज किये जाने का उल्लेख पटवारी ने किया है। नामान्तकरण पर तहसीलदार रुपवास ने आदेश किया है जो निम्न है :–

> ".....श्री भोला वल्द सोनपाल व लक्षमन वल्द भोला कोम धीमर सा. देह द.न. 451 रकवा 10 पर आर.टी.एक्ट. की धारा 15(1) के तहत खातेदर मंजूर है..... ।"

तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि तहसीलदार रुपवास ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के तहत जोमा बल्द सोनपाल व लक्ष्मन वल्द जोमा को खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश देते हुये नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। जब कि – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की घारा 15 के अन्तर्गत केवल सहायक कलक्टर को खातेदारी देने के अधिकार हैं तहसीलदार को नही। जैसा कि :– आर0बी0जे0 1999 पेज 172 में प्रतिपादित किया है –

> Rajasthan tencncy Act 1955 Section 15 Under this section only Assistent Collector can grant Khatedari right - under section of the Tenacy Act only A.C. Can garant khatedari rights. The Tehsildar can not pass order under his section. therefore attestation of mutation by the Tehsildar is illegal. Rurther the land was Bilanam, therefor order of the Tehsildar is ab-initio void.Bord of Revnue dismissed the appeal at admission stage. (Para 9,10.11

इस प्रकार तहसीलदार रुपवास का उक्त खातेदारी दिये जाने का आदेश होने से काबिल खारिज के रहता है। इसके बाद विवादित आराजी के विक्रय के नामान्तरकरण संख्या 1397, 2480 एवं विरासत नामान्तकरण संख्या 2543, विक्रय नामान्तरकरण संख्या 2559 काबिल खारिज के रहते हैं। गैर खातेदारी, खातेदारी एवं इसके बाद खोले गये विरासतन से खोले गये/स्वीकार किये सभी नामान्तरकरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

विधि विरुद्ध होने से काबिल खारिज के रहते हैं। विवादित आराजी की पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स उपयुर्क्त विवेचनानुसार स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार रुपवास द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1003 रकवा 10 विस्वा ग्राम रुपवास विधि विरुद्ध दिये गये गैर खातेदार एवं खातेदारी जरिये नामान्तरकरण संख्या 451, 1397, 2480 एवं विरासत नामान्तरकरण संख्या 2543, विक्रय नामान्तकरण संख्या 2559 निरस्त किये जावे, तथा विवादित आराजी पर वर्तमान में हो रहे सभी इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर पूर्व की स्थिति रिकार्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जावें। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 28.03.2022 को उपस्थित हों। निर्णय की प्रति तहसीलदार रुपवास को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को लिखा जाकर सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)